



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1948 (श10)

(सं० पटना 645) पटना, सोमवार, 22 जून 2026

आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

19 जून 2026

सं० एम०/सी०डी०-130/2016/1860/आ०प्र०—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, “बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017” का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-

- (1) यह नियमावली “बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026” कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. “बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017” के नियम-6 के उप नियम-2 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-6 के उप नियम-2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।”

3. “बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017” के नियम-8 का प्रतिस्थापन ।- उक्त नियमावली के नियम-8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

8. “परिवीक्षा अवधि:- आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार मल्ल,
सरकार के प्रधान सचिव।

19 जून 2026

सं० एम०/सी०डी०-130/2016/1860/आ०प्र० का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संतोष कुमार मल्ल,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 19th June 2026

N0. M/CD-130/2016-DMD/1860—In exercise of the powers conferred under proviso to the Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the "**Bihar Civil Defence Regional Stenographer Cadre Rules, 2017**" -

1. Short Title, Extent And Commencement.-

- (1) These Rules may be called as the "**Bihar Civil Defence Regional Stenographer Cadre (Amendment) Rules, 2026**".
- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Substitution of Sub Rule-2 of Rule-6 of the "Bihar Civil Defence Regional Stenographer Cadre Rules, 2017" – Sub Rule-2 of Rule-6 of the said rules shall be substituted by the following:-

"The Minimum age for direct recruitment in Bihar Civil Defence Regional Stenographer Cadre shall be 18 years and the maximum age shall be the same as decided by the Government from time to time, category wise for reservation."

3. Substitution of Rule-8 of the "Bihar Civil Defence Regional Stenographer Cadre Rules, 2017" – Rule-8 of the said rules shall be substituted by the following:-

8. "Probation Period:- The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, in case of unsatisfactory service during the probation period. In case of unsatisfactory service during the extended period, the service may be terminated."

*By order of The Governor of Bihar,
Santosh Kumar Mall,
Principal Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 645-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>